न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—211/2020/225 (2020/00211)

1. श्रीमती शमीम बानो पत्नि शहाबुद्धीन गौरी, जाति मुसलमान, निवासी छीपा मौहल्ला, बड़ा बास, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 16.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 30/2020 (139/2020).

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 ।

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 16.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थिया शमीम बाना पत्नि शहाबुद्धीन गौरी ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 के इस आशय से पेश किया कि वाके ग्राम देलवाड़ा क्षेत्र देलवाड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देलवाड़ा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में खाता संख्या नया 549 पुराना 530 के खसरा संख्या 1522/1842 कुल किता 1 रकबा 0.6475 है0 गैर मुमकिन दांती आराजियात अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है । अपीलांट की खातेदारी आराजी के उत्तर दिशा में भूमि खसरा नंबर 2304/1522 रकबा 0.8387 है0 किस्म गैर मुमकिन दांती स्थित है जो राजस्व अभिलेखों में सरकारी पहाड़ी व खड्डे की भूमि है जो राज्य सरकार के नाम दर्ज है । उक्त सरकारी भूमि खसरा नंबर 2304/1522 के पश्चात् दक्षिण दिशा में भूमि खसरा नंबर 2305/1522 के दक्षिण दिशा में भूमि खसरा नंबर 2305/1522 जो कि किस्म रास्ता है जो गांव का मुख्य आम रास्ता है । प्रार्थिया अपीलांट उक्त भूमि खसरा नंबर 2304/1522 में से होकर ही मुख्य आम रास्ता से आना जाना करती रही है तथा प्रार्थिया के वाहन एवं जानवर भी इसी खसरा नंबर 2304/1522 में होकर आते जाते है जो मौके पर रास्ता लगभग 25—30 फुट चौड़ा है। वादिया/अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1522/1842 में आने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जाने हेतु खसरा नंबर 2304/1522 में विद्यमान रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त खसरा नंबर 2304/1522 में से 30 फुट रास्ता अलग कायम किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते हुए मानचित्र में तरमीम करवाया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 16.10.2020 को पारित कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1522/1842 में आने जाने हेतु भूमि खसरा नंबर 2304/1522 सिवायचक में मार्ग उपलब्ध है तथा मौके पर रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग प्रार्थिया स्वंय की खातेदारी में आने जाने हेतु करती है जो तहसीलदार, ब्यावर की रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकित है । इतना करते हुए भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र केवल यह मानकर कि उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिविरूद्ध निर्णय है । जब अपीलांट स्वंय की भूमि खसरा नंबर 1522/1842 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 2304/1522 से ही आना जाता होता है तथा मौके पर इसी खसरा नंबर में रास्ता मौजूद है किन्तु राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त भूमि रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होने के कारण ही प्रार्थिया ने रास्ते की मांग की है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मनमाना निर्णय पारित कर विधिविरूद्ध रूप से प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । बहस में आगे कथन किया कि धारा 251–ए के तहत रास्ता तभी दिया जा सकता है जब प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो इस प्रकरण में भी इसी रास्ते के अलावा जिसकी मांग की जा रही है के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिससे स्पष्ट था कि प्रार्थिया को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को समझे बिना खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । प्रार्थिया/अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1522/1842 में आने जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नंबर 2304/1522 में पूर्व से ही मार्ग उपलब्ध है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, ब्यावर की रिपोर्ट से भी होती है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है । धारा 251–ए के तहत आत्यंतिक आवश्यकता होने पर ही रास्ते का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थिया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1522/1842 रकबा 0.6475 है0 भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 2304/1522 में से रास्ते हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया था । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है ।

तहसीलदार, ब्यावर ने रिपोर्ट दिनांक 9.10.2020 में अंकित किया है कि "प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1522/1842 में आने जाने के लिए कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है परन्तु मौके पर उक्त खसरा नंबर की भूमि पर आने–जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नंबर 2304/1522 में रास्ता मौके पर बना हुआ है तथा खातेदार ने अपनी भूमि पर प्लॉट के मुटाम व बिजली के पोल लगाकर भूखण्ड बना रखे है । प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा संख्या 1522/1842 में खसरा नंबर 2304/1522 की भूमि का रास्ते हेतु आने–जाने में उपयोग करता है एवं आवागमन में कोई बाधा नहीं हो रही है । अतः वर्तमान में रिकार्ड में रास्ता तरमीम की आवश्यकता नहीं है । " तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट की आराजी में आने जाने हेतु सिवायचक आराजी खसरा संख्या 2304/1522 में मार्ग उपलब्ध है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है जिसका अपीलांट उपयोग उपभोग करती चली आ रही है । ऐसी स्थिति में अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने की स्थिति में ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2020 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर